

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 381



बिक्रीखत

ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) की कृषि भूमि का विक्रय पत्र
(प्रारूप क्रमांक 3 में स्थित प.ह.नं. 17 सरल क्र. 88 पर स्थित)
भू-ऋण पुस्तिका भाग (1) क्रमांक 24435 राजस्व निरीक्षक मंडल-01
(उक्त भूमि मुख्यमार्ग भोपाल रोड पर स्थित है)

विक्रय मूल्य रु. 3,50,000.00 (रु. तीन लाख पचास हजार) मात्र
बाजार मूल्य रु. 3,50,000.00 (रु. तीन लाख पचास हजार) मात्र

स्टाम्प ड्युटी	::	19,250.00
नगर निगम ड्युटी	::	3,500.00
पंचायत ड्युटी	::	3,500.00
उपकर ड्युटी	::	970.00
कुल ड्युटी	::	27,220.00

Heere

निरंतर.... 2 पर

Kishor S.J.

DEC 2008

31/12/08

शुद्धी लीना पिला योगराज शक्चें वेष्टी
बला

जिला कोषालय
23 DEC/2008
सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रक शाखा देवास (म. प्र.)

शंजया पिला गोविन्द राम जगदिधारी
श्यामी किरण पति शेजम जगदिधारी बुका

मिटर

270000/-

जिला कोषालय देवास
दूरध्वनी 98273-43333, 98932-49187

- 1) सर्वोत्तम वन के मुद्रक 192500
 - 2) वनस्पति मुद्रक 35000
 - 3) वनस्पति विज्ञान मुद्रक 35000
 - 4) वनस्पति मुद्रक 9700
 - 5) वनस्पति मुद्रक
 - 6) वनस्पति मुद्रक
- 272200

उप-पञ्चायत,
देवास (म.प्र.)

योगराज शक्चें वेष्टी

के द्वारा उप जिला देवास जिला
देवास 4 उप पञ्चायत के कार्यालय
के द्वारा 21 DEC 2008 को
व.प्र. [.....] वजे
मुद्रक शाखा देवास

Heena

उप-पञ्चायत,
देवास

23 DEC/2008

29

4087

133

रसीद दस्तावेज वगैरह

मुकाम

4878

भारतीय गैर
भारत IN

रु. 500



सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

INDIA NON J

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्ताखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिये गया हो जिसके बावत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इम्बारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजि ने ओह के दस्त
	2	3
मुश्री हीना पिन्ना 350000/-	2970=0	4

27 DEC 2008

उप-पंजीयत
Sub-Registered

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 381596

//02//

विक्रय पत्र सम्पादित कर देने वाले:-

(विक्रेता/प्रथम पक्ष)

1. संजय पिता श्री गांविदराम जयसिंघानी, उम्र 46 वर्ष, व्यवसाय व्यापार (Pan No. : AERPJ9197C)
2. श्रीमती किरण पति श्री संजय जयसिंघानी, उम्र 44 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य, (Pan No. : AHYPJ4013H)
(गैर आदिवासी), निवासीगण 46, कमला नेहरु नगर, इन्दौर (म.प्र.)

(जिन्हें आगे सुविधा की दृष्टि व संक्षिप्तता की दृष्टि से "विक्रेता/प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, इस संबोधन के अंतर्गत विक्रेता/प्रथम पक्ष स्वयं उनके समस्त उत्तराधिकारी सम्मिलित है।)

विक्रय पत्र जिसके पक्ष में सम्पादित किया जा रहा है:-

(क्रेता/द्वितीय पक्ष)

सुश्री हीना पिता श्री योगराज खर्चे, (Pan No. : AUEPK6439M)

(गैर आदिवासी), उम्र 20 वर्ष, व्यवसाय गृहणी,

निवासी आय-204, शालीमार पाम, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पीछे, इन्दौर

(जिन्हें आगे सुविधा की दृष्टि व संक्षिप्तता की दृष्टि से "क्रेता/द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, इस संबोधन के अंतर्गत क्रेता/द्वितीय पक्ष स्वयं उनके समस्त उत्तराधिकारी सम्मिलित है।)

विक्रय की जाने वाली भूमि का विवरण:-

यह कि विक्रेता के एकमात्र स्वत्व व मालकी की ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) में स्थित प.ह.न. 17 पर स्थित कृषि भूमि जो कि भू-अधिकार क्रम पुस्तिका क्रमांक 24435 तथा खसरे तथा पटवारी नकशे में संपूर्ण विवरण दर्ज है, जिसे संलग्न अभिन्यास में लाल स्याही में दर्शाया गया है, को विक्रय करने हेतु विक्रेता को समस्त विक्रय हित प्राप्त होकर विक्रेता इस विक्रय पत्र के संपादन हेतु सक्षम है, विक्रय की जाने वाली कृषि भूमि का विवरण:-

निरंतर.... 3 पर

18

135

3088
27 DEC 2008

पुणे जिल्हा न्यायालय
मुंबई

जिला कोषालय मुद्रांक शाखा
23 DEC 2008
सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)

सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)
दफ्तार नं. 406508
दफ्तार नं. 98832-49187

1. ~~सहायक कोषालय अधिकारी मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)~~
 2. ~~सहायक कोषालय अधिकारी मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)~~
- 46 नवंबर 2008

जिसे कि ...
 35000/-
 ...
 ...
 ...
 ...

1. ~~सहायक कोषालय अधिकारी मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)~~
 2. ~~सहायक कोषालय अधिकारी मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)~~
- 27 12 2008
- 98832-49187
- श्री नवि पूर्वोक्त विष्वाकर् / अधिकाारी
 श्री विष्वाकर् के निवास में श्री नवि है।
 धारण तारीख
- 27 DEC 2008

134

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 381597

//03//

क्रमांक	सर्वे नं.	रकबा (हैक्टर में)	लगान
1.	502/2/1 पैकी	0.050 आरे	

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि शासकीय पट्टे की नहीं होकर भू-दान यज्ञ के तहत नहीं दी गई है, विक्रीत भूमिपर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 165(6)(क) का उल्लंघन होता नहीं है और ना ही मध्यप्रदेश कृषि जोत अधिनियम 1972 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। उक्त भूमि मुख्य मार्ग - भोपाल मार्ग पर स्थित होकर उक्त भूमि असिंचित है।

विक्रय प्रतिफल:-

यह कि उक्त वर्णित भूमि को विक्रेता द्वारा क्रेता को रुपये 3,50,000/- (रु. तीन लाख पचास हजार) मात्र में विक्रय की है तथा उक्त राशि विक्रेता ने क्रेता से परभारे प्राप्त हो चुके है, अब इस विक्रय सौदे पेटे कोई राशि विक्रेता को क्रेता पक्ष से या उसके किसी भी वारसान से किसी प्रकार का कोई बकाया लेना नहीं है।

बिक्रीशुदा भूमि की पूर्व की पृष्ठभूमि:-

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मुख्य मार्ग भोपाल मार्ग पर स्थित है तथा उक्त भूमि विक्रेतागण - संजय पिता श्री गोविंदरामजी जयसिंघानी एवं श्रीमती किरण पति श्री संजय जयसिंघानी निवासीगण इन्दौर के द्वारा मेसर्स भोमियाजी डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार - गौरव पिता श्री कैलाश

निरंतर... 4 पर

(Handwritten signatures)

30/12/08
DEC 2008

उपरोक्त निष्ठापक / अध्यक्ष / सदस्य
का निष्ठापक के रूप में कार्य करने का विषय

23 DEC 2008

सहायक कोषालय
पुस्तकालय देवास

आलेख लालमकुन्द दुबे
स्टायप नंबर 772-406508
कलेक्टर देवास (म.प्र.)
घोषा. 98270-45336, 98932-49187



उपरोक्त निष्ठापक / अध्यक्ष / सदस्य
का निष्ठापक के रूप में कार्य करने का विषय
27 DEC 2008



Heena देवस्थ (म.प्र.)
उप-परीक्षक
उपरोक्त निष्ठापक / अध्यक्ष / सदस्य
का निष्ठापक के रूप में कार्य करने का विषय
27 DEC 2008



Kirans J. देवस्थ (म.प्र.)
उप-परीक्षक
उपरोक्त निष्ठापक / अध्यक्ष / सदस्य
का निष्ठापक के रूप में कार्य करने का विषय
27 DEC 2008

देवस्थ (म.प्र.)

isfan

135

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 284248

//04//

कुमारजी जैन निवासी देवास से जयें रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रमांक 1-अ/3070 दिनांक 26.10.2007 को क्रय की गई थी, जिस पर विक्रेता का एकमात्र मालकाना, हक, स्वत्व एवं स्वामित्व होने से यह विक्रय लेख बतौर मालिक की हैसियत से निष्पादित किया जा रहा है, उक्त भूमि असिंचित है।

यह कि भूमि विक्रेतागणों के स्वामित्व एवं आधिपत्यकी होकर उल्लेखित विक्रेतागणों के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमि स्वामी दर्ज है तथा सदर कृषि भूमि ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) में स्थित प.ह.नं. 17 में स्थित सर्वे नं. 502/2/1 रकबा 0.411 हैक्टर में से 0.050 आरे भूमि को विक्रेतागण अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विक्रय करना चाहते है तथा "क्रेता" भी उक्त भूमि को अपने उपयोग के लिये क्रय करना चाहते है, अतः "विक्रेता पक्ष" द्वारा "क्रेता पक्ष" को स्वत्व, हक व आधिपत्य प्रदान करते हुवे यह विक्रय लेख निम्नानुसार "क्रेता" के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

यह कि विक्रेता पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होने से वैधानिक मालिक एवं स्वामी होने के कारण इस सम्पत्ति को कही भी विक्रय करन या दान, बक्षीस एवं गिरवी रखने का पूर्ण अधिकार होने से आज दिनांक को अपनी वर्णित सम्पत्ति का विक्रय कर दिया है।

यह कि बिक्री की गई इस भूमि को इस लेख में आगे सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से "सदर भूमि" शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसका आशय वर्णित एवं विक्रय की जा रही भूमि से रहेगा।

यह कि यदि विक्रेता पक्ष के अधिकार दोष के कारण यदि बिक्रीत सम्पत्ति का कब्जा भविष्य में क्रेता पक्ष के पास से चला जाता है तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह मय हर्जे-खर्चे के अपनी राशि विधिवत विक्रेता पक्ष से वसूल करें।

निरंतर..... 5 पर

136

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 284249

//05//


यह कि उपरोक्त विक्रय पत्र में अंतर्विष्ट भूमि समस्त अधिकार सहित विक्रेता द्वारा इसकी चारो दिशा समझाकर इसका आधिपत्य क्रेता मालिक के रूप में क्रेता पक्ष को सौंप दिया है, जिसे क्रेता पक्ष द्वारा बतौर मालिक के रूप में प्राप्त कर लिये गये है, अब आप सदर सम्पत्ति का उपयोग, उपभोग पीढी-दर-पीढी करते जाने हेतु स्वतंत्र है, भविष्य में यदि कोई सीमा संबंधी विवाद उठता है तो उसे निपटाने की एवं हर्जे-खर्चे की संपूर्ण जवाबदारी विक्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि के इस विक्रय का सम्पादन विक्रेता के परिवार की पूर्ण सहमति से किया गया है, भविष्य में विक्रेता पक्ष एवं क्रेता पक्ष के किसी भी परिवार के सदस्य या वारिसान को एवं उत्तराधिकारी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी, विक्रेता पक्ष के द्वारा किया गया यह सम्पादन विक्रेता पक्ष के समस्त वारिसो एवं उत्तराधिकारियों पर भी बंधनकारक रहेगा, भविष्य में यदि कोई अपना अधिकार संबंधी विवाद उठाता है या झगडा करता है तो उसे निपटाने की एवं हर्जे-खर्चे की पूर्ण जवाबदारी विक्रेता पक्ष की ही होगी।

यह कि सदर भूमि पर किसी दुसरे का भार-बोझ, बंधन या स्वत्व नहीं है व किसी बैंक, सोसायटी, तहसील एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय किसी भी विभाग का कोई कर या कर्ज लगान आदि बकाया नहीं है एवं किसी भी प्रकार का अमानत व मेन्टेनेंस का कोई भार-बोझ नहीं है, ना ही किसी बैंक, सोसायटी या न्यायालय की जमानत दर्ज नहीं है और ना ही पारिवारिक, न्यायिक विवाद आदि का प्रकरण लंबित है, ना ही डिक्ली, चार्ज है, यदि भविष्य में किसी ने पिछला किसी भी प्रकार का बिक्रीखत पंजीयन के पूर्व का भार-बोझ निकाला या स्वत्व कायम किया तो उसको निपटाने की जवाबदारी विक्रेता पक्ष की ही रहेगी, क्रेता को खर्चे में नहीं पडने दिया जावेगा।

निरंतर..... 6 पर

Heena
Kiran S.J.



137

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 284250

//06//

यह कि सदर भूमि के पेटे आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कर या बिल आदि जैसे - नगर निगम कर, पंचायत कर, भू-भाटक, तहसील कर, लगान, बिजली कर, बिजली बिल या सम्पत्तिकर एवं जलकर बकाया नहीं है, भविष्य में भी बिक्रीखत पंजीयन के पूर्व का यदि किसी प्रकार का कोई कर बकाया पाया गया तो विक्रेता पक्ष को भरकर देना होगा, बिक्रीखत पंजीयन के बाद के करों एवं बिलों की पूर्ण जवाबदारी क्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि को विक्रेता पक्ष के द्वारा पूर्व में कभी भी किसी प्रकार का कोई विक्रय आदि करने का इकरार या किराये पर देने हेतु किराया चिट्ठी लेख नहीं लिखा गया है और ना ही इसे किराये पर दिया गया है, विक्रेता पक्ष द्वारा किसी प्रकार की लिखापट्टी या मौखिक वायदा पाया गया तो वह इस विक्रय पत्र निष्पादन के सामने निरस्त एवं शून्य माना जावेगा तथा उससे उन्नत होने वाले विवादों को निपटाने की संपूर्ण जवाबदारी मय हर्जे-खर्चे के विक्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि किसी भी प्रकार की शासकियी आदि की योजना में समाविष्ट नहीं है तथा ना ही सदर भूमि किसी भी प्रकार के अग्रिहण के लिये प्रस्तावित है और ना ही इसके बाबद विक्रेता पक्ष को आज दिनांक तक कोई भी सूचना पत्र प्राप्त हुआ है, यदि किसी प्रकार के तथ्य विक्रेता पक्ष के द्वारा छिपाये गये, ऐसा पाया गया तो यह विक्रेता पक्ष का दोष माना जावेगा।


यह कि अब क्रेता पक्ष बिक्रीशुदा सम्पत्ति पर से विक्रेता का नाम राजस्व विभाग व अन्य संबंधित शासकीय विभागों से कम करवाकर अपने नाम मालिक के रूप में दर्ज करवाने के अधिकार है, आपको जब भी जहाँ जहाँ हम विक्रेतागणों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो विक्रेता समय समय पर उपस्थित होकर आपकी मदद करेंगे।

यह कि सदर भूमि की पावती की कॉपियाँ क्रेता पक्ष को सौंप दी गई है तथा इस बिक्रीखत के सम्पादन के आधार क्रेता पक्ष अपने नाम पर नई पवती करवा सकता है, अब स्वत्व संबंधी इस बिक्रीशुदा भूमि के दस्तावेज विक्रेता के पास शेष नहीं है।


निरंतर..... 7 पर

(Heena)

Kishan S. J.



138



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 284251

//07//

उभयपक्षों ने इस विक्रय पत्र में लिखे समस्त कथनों को पढ़कर एवं समझकर स्वीकार करते हुवे अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हुवे होश-हवास में स्वस्थ चित्त से गवाहों के समक्ष गवाह करवाते हुवे आज बिना किसी दबाव के राजी-खुशी से विक्रय कर सम्पादित एवं हस्ताक्षरित किया है, जो वैधानिक रूप से जरूरत पड़ने पर काम आवे।

दिनांक : 27.12.2008

गवाह:-

1. हस्ताक्षर..... *[Signature]*

नाम : *श्री संजय जयसिंघानी*

पता : *27, शाहीवादी रोड, देवास*

2. हस्ताक्षर..... *[Signature]*

नाम : *श्रीमती किरण पति श्री संजय जयसिंघानी*

पता : *उभयपक्षों के आदेशानुसार एवं निर्देशानुसार टंकण कराया गया।*

मेरे कार्यालय में उभयपक्षों के आदेशानुसार एवं निर्देशानुसार टंकण कराया गया।

(मुकेश यादव), अभिभाषक, देवास

विक्रेता पक्ष

(संजय पिता श्री गांविदरामजी जयसिंघानी)

[Signature]

(श्रीमती किरण पति श्री संजय जयसिंघानी)

क्रेता पक्ष

(सुश्री हीना पिता श्री योगराज खर्चे)

